फर्द अहकाम

दयालदास बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर

ना पत्र संख्याः /2025 469/25

या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम मथुरावाला पटवार हल्का विधानी भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हाल खाता सख्या 32 की गै.मु.बाडा खसरा न0 83/425 रकबा 0.0300 हेक्टेयर है, में प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजियात मे प्रार्थी का नाम दयालदास चेला रामनिवास के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में सहवन से दपालदास चेला रामनिवास अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम दयालदास चेला रामनिवास है। प्रार्थी के वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में दयालदास चेला रामनिवास नाम अंकित है। परन्तु राजस्व विभाग मे प्रार्थी के नाम से नामान्तरण खोलते समय दपालदास नाम अंकित कर दिया। जो गलत है। राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजियात मे सहवन से गलत नाम अंकित होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। दयालदास व दपालदास एक ही व्यक्ति है परन्तु भूप्रबन्द कर्मचारीयो के द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम दपालदास राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है साथ ही प्रार्थी का नाम दपालदास के स्थान पर दयालदास होने से प्रार्थी को न्याय मिलेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खाता सख्या 32 की गै. मु.बाडा खसरा न० 83/425 रकबा 0.0300 वाके ग्राम मथुरावाला पटवार हल्का विधानी भू.अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थी का नाम दपालदास चेला रामनिवास के स्थान पर दयालदास चेला रामनिवास किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वाके ग्राम मथुरावाला पटवार हल्का विधानी भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हाल खाता सख्या 32 की गै.मु.बाडा खसरा न० 83/425 रकबा 0.0300 हेक्टेयर है, मे प्रार्थी का नाम दयालदास चेला रामनिवास के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम से नामान्तरण खोलते समय सहवन से दपालदास चेला रामनिवास अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम दयालदास चेला रामनिवास है। प्रार्थी के वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में दयालदास पुत्र रामनिवास नाम अंकित है। सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ....लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दयालदास बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्या 469/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06.06.2025	अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा... भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगा... आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम मथुरावाला पटवार... विधानी भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जय... हाल खाता सख्या 32 की गै.मु.बाडा खसरा न० 83/425 ... 0.0300 हेक्टेयर है, मे प्रार्थी का नाम दपालदास चेला रामनि... स्थान पर दयालदास चेला रामनिवास राजस्व रिकार्ड में दर्ज... जाने के आदेश दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तह... सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज... से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगा...)

न्यायालय उ...

प्रार्थना पत्र संख्या 469/20...

दयालदास पुत्र श्री राम...
कलां, बिलवा, सांगाने...

राजस्थान सरकार ...

प्रार्थना पत्र अन्त...

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर ...

1 यह कि वाके ...
तहसील सांगाने...
न0 83/425 ...
अंकित है।

2 यह कि उक्त ...
स्थान पर राज...
गया है ,जबकि...
वोटर आईडी ...
रामनिवास न...
खोलते समय...